मध्यप्रदेश होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा संगठन की उपलब्धियाँ वर्ष 2003 – 2018 तक

मध्यप्रदेश होमगार्ड की स्थापना सन् 1947 में मध्यप्रदेश होमगार्ड एक्ट, 1947 के तहत की गई थी । होमगार्ड संगठन की स्थापना मध्य प्रान्त एवं बरार विधान सभा में अधिनियम संख्या–पन्द्रह सन् 1947 के अनुसार मध्य प्रान्त एवं बरार नगर सेना अधिनियम 1947 के अनुसार मध्य प्रान्त को राज्यपाल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी, जो मध्य प्रान्त एवं बरार राजपत्र में दिनांक 16 मई 1947 को प्रकाशित हुआ।

गौरवमयी इतिहासः–

स्वतंत्र भारतीय संघ के पहले गर्वनर–जनरल (1947–48) श्री लॉर्ड लुईस माउंटबेटन बीसवीं सदी के मध्य से अंत तक ब्रिटिश साम्राज्य के पतन के समय के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे। भारत और पाकिस्तान की आजादी में उनकी अहम भूमिका रही , जब भारत और पाकिस्तान ने 14 से 15 अगस्त 1947 की रात स्वतंत्रता प्राप्त की, तो माउंटबेटन जून 1948 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करते हुये दस महीने तक नई दिल्ली में रहे। 26 जनवरी 1948 को सीतावर्डी नागपुर में कलर प्रिजेंटेशन में भी श्री लॉर्ड लुईस माउंटबेटन की अहम भूमिका रही।

यह स्वयंसेवी संगठन है जिसके गठन करने के दो मुख्य उद्देश्य है :–

(अ) प्रदेश में आपातकालीन स्थिति में शांति एवं सुरक्षा व्यवथा बनाये रखने हेतु पुलिस बल को सहायता करना ।

(ब) लोक कल्याणकारी कार्यो के सहयोग एवं नागरिक सुरक्षा से संबंधित कार्यो का सम्पादन करना ।

(स) होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय,जबलपुर में है तथा इसका कैम्प कार्यालय भोपाल में स्थित है। होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन मध्यप्रदेश के विभाग प्रमुख **श्री महान भारत सागर**,भापुसे, डायरेक्टर जनरल हैं ।

(द) होमगार्ड संगठन बल के सदस्य कानून व्यवस्था में पुलिस की सहायता के अतिरिक्त त्यौहारों पर विशेष रूप से डियुटी करते है । विशेष तौर पर बाढ़ राहत व अन्य आपदाओं के समय इनका कार्य विशेष रूप से सराहनीय होता है। प्रत्येक प्रकार की डियुटी के लिये यह सदैव तत्पर रहते है।

उपलब्धियॉः–

1–होमगार्ड सैनिकों की ड्युटियॉ :–शासन के पत्र कमांक एफ– 2(अ) 25/12/बी–4/दो ,दिनांक 30–03–2013 व्दारा दिनांक 01–4–2013 से 31–12–13 तक होमगार्ड सैनिकों का फुल काल आउट की स्वीकृति प्रदान की गई है । वर्तमान मे नगर सैनिकों को पूरे वर्ष कालआउट डियुटी मिल रही है।

2......

Scanned with CamScanner

2– होमगार्ड जवानों को मानदेय / भोजन से वर्ष 2003 के पूर्व रूपये 60/– था जिसे बढ़ाकर निम्नानुसार बढ़ोत्तरी की गई है :–

(1) वर्ष 2006 शासन का पत्र कमांक एफ2(अ) 586/2003/बी–4/दो दिनांक 21–03–2006 में राशि रूपये 100/–

(2) वर्ष 2008 शासन का पत्र कमांक एफ2(अ) 586/2003/बी–4/दो दिनांक 25–03–2008 में राशि रूपये 120/–प्रतिदिन

(3) वर्ष 2010 शासन का पत्र कमांक एफ2(अ) 586/2003/बी–4/दो दिनांक 27–01–2010 में राशि रूपये 150/–प्रतिदिन

(4) वर्ष 2012 शासन का पत्र कमांक एफ2(अ) 108/2011/बी–4/दो दिनांक 25–04–2012 में राशि रूपये 190/–प्रतिदिन

(5) वर्ष 2013 शासन का पत्र कमांक 1877/1645/13,बी–4/दो दिनांक 28–05–2013 में राशि रूपये 300/–प्रतिदिन

(6) वर्ष 2014 शासन का पत्र कमांक एफ2(अ) 118/2012/बी–4/दो दिनांक 25–02–2014 के व्दारा पूर्व दर में 10 प्रतिशत की वृध्दि की जाकर सैनिक को रूपये 330/– प्रतिदिन के मान से राशि दी जा रही है ।

(7) वर्ष 2015 शासन का पत्र कमांक एफ2(अ) 09/2015/बी–4/दो दिनांक 03–03–2015 के व्दारा पूर्व दर में 10 प्रतिशत की वृध्दि की जाकर सैनिक को रूपये 363/– प्रतिदिन के मान से राशि दी जा रही है ।

(8) वर्ष 2016 शासन का पत्र क्र. एफ–2(अ) 09/2015/बी–4/दो, भोपाल दिनांक 07.04.2016 के द्वारा सैनिकों को रूपये 400/– प्रतिदिन के मान से राशि दी जा रही है। तथा शासन का पत्र क्र. एफ–2(अ)71/2016/बी–4/दो भोपाल दिनांक 26.12.2016 के द्वारा सैनिकों को प्रतिमाह धुलाई व्यय को रूपये 25/– से बढाकर रूपये 60/– तथा नाई व्यय को रूपये 15/– से बढ़ाकर रूपये 40/– प्रतिमाह स्वीकृत किया गया है।

(9) वर्ष 2017 शासन का पत्र क्र. एफ–2(अ) 02/2017/बी–4/दो, भोपाल दिनांक 01.03.2017 के द्वारा सैनिकों को देय प्रतिमाह मानवेतन+भोजन राशि+धुलाई भत्ता के रूप में रूपये–12,040/– से बढ़ाकर 17,055/– प्रदाय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। शासन के पत्रक्र. फ–2(अ)/2017/बी–4/दो भोपाल दिनांक 05.07.2017 द्वारा राशि रूपये– 17055/– के स्थान पर राशि रूपये 17586/– मानवेतन प्रतिमाह की दर से स्वीकृत किया गया है।

3– मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग के आदेश कमांक एफ2(अ)118/बी–4 /दो दिनांक 06–02–2013 के व्दारा होमगार्ड सैनिकों के लिये निम्न सुविधा प्रदान की गई है :–

(1) होमगार्ड सैनिकों व्दारा 10 वर्ष अथवा अधिक सेवा के पश्चात सेवा मुक्त होने वाले नगर सैनिकों को प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये सेवामुक्त होने के दिनांक पर प्राप्त होने वाले दैनिक मानवेतन (भोजन राशि छोड़कर) की दर पर 15 दिवस का मानवेतन प्रति पूर्ण वर्ष पर प्रदान किया जाए। इस हेतु पूर्ण वर्ष ही माना जायेगा जिसके दौरान नगर सैनिक के

3.....

Scanned with CamScanner

व्दारा एक कलेण्डर वर्ष में 240 दिन अथवा अधिक दिनों तक आव्हान पर रहकर कर्तव्य निष्पादित किया गया हो, अर्थात जिस कलेण्डर वर्ष में उसके व्दारा 240 दिन से कम अवधि के लिये आव्हान पर रह कर ड्युटी की गई है उसके लिये उसे उक्त राशि देय नहीं होगी का प्रावधान निहित है।

(2) होमगार्ड विभाग के कल्याण निधियों में वर्ष 2003 के पूर्व राज्य शासन व्दारा मेचिंग ग्रांट रूपये 2,90,000/—निर्धारित था जिसको बढ़ाकर वर्ष 2003 में मेचिंग ग्रांट रूपये 5,00,000/—प्रतिवर्ष किया गया है । तत्पश्चात वर्ष 2013 में मेचिंग ग्रांट रूपये 5,00,000/— से बढ़ाकर रूपये 10,00,000/— प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है तथा तत्पश्चात् वर्ष 2015 से मेचिंग ग्रांट रूपये 10 लाख से बढ़ाकर रूपये 1,50,00,000/—(एक करोड़ पचास लाख)प्रतिवर्ष की अनुमति प्रदान की गई है।।

(3) महिला नगर सैनिकों को अधितम दो बच्चों के जन्म के लिये अधिकतम 90 दिन का कालआउट की ड्युटी मानकर मानवेतन एवं भोजन राशि का भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है । वर्ष 2003 के पूर्व यह सुविधा लागू नहीं थी ।

(4) **मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन— भोपाल के पत्र क्रमांकः एफ 6—1/2015/नियम/चार भोपाल,दिनांक 13—01—2016 के द्वारा महिला शासकीय सेवकों** को संतान की 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पूर्व की स्थिति में संतान पालन अवकाश की 730 दिवस की पात्रता की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा यदि आवेदिका की संतान की आयु 17 वर्ष 06 माह है तब आवेदिका को अधिकतम 06 माह के ही संतान पालन अवकाश की पात्रता का प्रावधान है।

4— मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल व्दारा दिनांक 06 मार्च 2013 व्दारा होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिकों को वन ,वाणिज्यकर ,जेल,एवं परिवहन विभाग में 15 % आरक्षण दिया गया है । इसके पूर्व पुलिस विभाग में 15 % एवं म0प्र0वि0मण्डल निगम में 5 % भर्ती हेतु आरक्षण सुविधा दी गई है। होमगार्ड के स्वयंसेवी नगर सैनिकों को पुलिस विभाग में आरक्षक पद पर सीधी भर्ती के लिये 30 प्रतिशत आरक्षण दिया जाने हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है।

5— म0प्र0शासन गृह(पुलिस)विभाग के आदेश कमांक189/2808/2010/बी—3/दो दिनांक 02—02—2011 के तहत ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों के अनुरूप नगर सैनिकों को कर्तब्य के दौरान मृत्यु /घायल होने पर निम्नानुसार अनुग्रह राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है :—

(1) मृत्यु होने पर रूपये 3,00,000/—
(2) स्थाई अशक्तता होने पर रूपये 1,50,000/—
(3) एक ऑख/ एक हाथ एवं एक पैर भंग होने पर रूपये 1,00,000/—
(4) गंभीर चोट लगने पर रूपये 25,000/—

वर्ष 2011 के पूर्व यह सुविधा लागू नहीं थी। वर्तमान में लागू है।

6— म0प्र0शासन गृह(पुलिस)विभाग के आदेश कमांक एफः—4/2012 /बी—3/दो, दिनांक 07—05—2013 के तहत नक्सलवादियों के साथ—साथ अपराधियों,असामाजिक तत्वों आदि के विरूद्ध कार्यवाही के दौरान होमगार्ड सैनिकों की मृत्यु होने पर उनके आश्रित परिवार को रूपये 10,00,000/— का विशेष अनुग्रह राशि दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है । वर्ष 2003 के पूर्व रूपये 2,00,000/— तथा वर्ष 2003 में रूपये 5,00,000/— तथा वर्ष 2013 से रूपये 10,00,000/— दिये जाने का प्रावधान निहित है ।

Scanned with CamScanner

11— होमगार्ड विभाग के जिला ग्वालियर के शहीद हुए सैनिक क्र. 331 जितेन्द्र सिंह को रूपये 10,00,000/— जिला सतना के शहीद हुए (दस्यु मुठभेड़ में) नायक 279 राजकुमार त्रिपाठी को रूपये 5,00,000/— तथा उनके परिवार के आश्रितों को पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई तथा जिला सागर के शहीद हुए होमगार्ड सैनिक क्रमांक 195 शिवराज सिंह घोषी के आश्रितों के कानूनी वारिस को माननीय मुख्यमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन के सम्मान निधि से स्वेच्छा अनुदान से रूपये 10,00,000/— प्रदान की गई।

12— होमगार्ड सैनिक ड्यूटी के दौरान (एक्शन ड्यूटी में) मृत्यु होने पर उनके परिवार के आश्रितों को पुलिस विभाग के आरक्षक के न्यूनतम वेतन के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (असाधारण पेन्शन) नियम 1963 में प्रावधानुसार दी जाती है।

13— मध्यप्रदेश राज्य में नये जिलों का गठन किया गया है जिसके अनुसार होमगार्ड विभाग में नवगठित जिला—बुरहानपुर, हरदा, उमरिया, अनूपपुर, कटनी, अशोकनगर, श्योपुरकलॉ, बडवानी, नीमच, डिण्डौरी इन सभी जिलों में विभागीय डिस्ट्रिक्ट कमान्डेन्ट के पद स्वीकृत हैं ।

14— होमगार्ड विभाग में कल्याण निधि के अंतर्गत जिला छतरपुर तथा टीकमगढ़ में पेट्रोल पंप की स्थापना की गई है।

15— (अ) वर्ष 1968 में नागरिक सुरक्षा और उससे संबंधित विषयों के उपबन्धों के लिये नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 ,दिनांक 24 मई 1968 से लागू हुआ जो की पूरे भारत में विस्तारित है, इसके उपरांत वर्ष 2009 में नागरिक सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम 2009 दिनांक 21 जनवरी 2010 से लागू है।

(ब) मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 5599—6094—99—बी—4(दो) दिनांक 24/11/1999 के द्वारा सिविल डिफेन्स के जिलों (इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, कटनी, ग्वालियर) में व मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित पत्र क्रमांक 6798—518—2013—दो—बी—दो, दिनांक 06—12—2014 के द्वारा सिविल डिफेन्स के 20 जिलों को सिविल डिफेन्स जिला घोषित किया गया।

(स) मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित पत्र क्रमांक 3414—518—2013—दो—सी—2 दिनांक 13—07—2015 के द्वारा सिविल डिफेन्स के सुदृढीकरण हेतु प्रदेश में " 26 " नवीन जिलों को सिविल डिफेन्स जिला होमगार्ड विभाग के अंतर्गत घोषित किया गया।

16— आपदा प्रबंधन के अन्तर्गत एस0डी0ई0आर0एफ0 का गठन किया गया है। साथ ही मुख्यालय कैम्प कार्यालय भोपाल में स्थापित है । आपदा प्रबंधन एवं बचाव कार्य की सूचना हेतु टोल फ्री नंबर 1079 है। तथा 04 जिलों में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, तथा ग्वालियर में इसकी यूनिट स्थापित हैं। इसके अंतर्गत होमगार्ड विभाग के अंतर्गत शेष जिलों में आपदा प्रबंधन, बाढ बचाव कार्य हेतु केंद्र (स्टेट कमाण्ड सेन्टर) स्थापित है। मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक एफ—2(अ) 18/13/बी—3/दो, दिनांक 04—10—2013 के द्वारा मध्यप्रदेश राज्य आपदा आपतकालीन मोचन बल के गठन हेतु निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की गई है:—

12

6......

Scanned with CamScanner

(1) राज्य आपातकालीन मोचन बल में नगर सेना से चयनित किये गये 550 नगर सैनिकों के बदले में नगर सेना में वर्तमान में स्वीकृत बल के अतिरिक्त 550 नगर सैनिकों के अतिरिक्त काल आउट की स्वीकृति।

(2) राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल के मुख्यालय एवं स्टेट कमाण्ड सेन्टर हेतु 44 एवं चार जिला इकाईयों (भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं ग्वालियर) हेतु 88 कुल 132 पदों की सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

17— होमगार्ड की 50 जिला ईकाईयों में ई0ओ0सी0 सेन्टर स्थापित किये गये हैं।

18— वर्ष 2003 से अभी तक होमगार्ड विभाग में सराहनीय सेवा के लिये 125 एवं विशिष्ट सेवा के लिये 44 अधिकारियों/कर्मचारियों/स्वयंसेवी सैनिकों को राष्ट्रपति पदक प्रदान किये गये हैं।

19— विभाग में त्वरित संचार व्यवस्था हेतु वर्तमान में **hgcdmp.blogspot.in** शुरू किया गया है।

20— होमगार्ड विभाग के स्वयंसेवी होमगार्ड सैनिक क्रमांक 31 विकास मांझी जिला भोपाल द्वारा Nam Van Lake Nautical Centre Macau S-S-R China में दिनांक 30 मई 2014 से 01 जून 2014 तक आयोजित 11th ASIAN DRAGON BOAT CHAMPIONSHIPS में मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व कर होमगार्ड विभाग एवं प्रदेश का नाम गौरान्वित किया गया।

21— **प्रशिक्षण से संबंधी जानकारी निम्नानुसार हैः—**

(1) नवनियुक्त 03 जिला सेनानियों का परिवीक्षाधीन सत्र 2012—2013 में निदेशक, जवाहर लाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर म0प्र0 में प्रशिक्षण कराया गया।

(2) नवनियुक्त 03 जिला सेनानियों को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (आर0ए0पी0टी0सी0), इन्दौर म0प्र0 में वेपन टेक्टिकस प्रशिक्षण दो सप्ताह का कराया गया।

(3) राज्य आपदा मोचन बल का विशेष प्रशिक्षण का प्रथम बैच दिनांक 13—05—2013 से 26—07—13 तक 110 होमगार्ड स्वयं सेवकों को कमाण्डेंट केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान होमगार्ड, मंगेली, जबलपुर में प्रशिक्षण विभागीय स्तर से कराया गया।

(4) राज्य आपदा मोचन बल का विशेष प्रशिक्षण का द्वितीय बैच दिनांक 16—09—13(30 कार्य दिवस) 134 होमगार्ड स्वयं सेवकों को कमाण्डेंट केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान होमगार्ड, मंगेली जबलपुर में प्रशिक्षण विभागीय स्तर कराया गया ।

(5) राज्य आपदा मोचन बल का विशेष प्रशिक्षण का प्रथम बैच दिनांक 03.02.14 से 15. 03.14 तक (15 कार्य दिवस) 82 होमगार्ड स्वयंसेवकों को कमाण्डेंट, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान होमगार्ड मंगेली, जबलपुर में राज्य आपदा आपतकालीन मोचन बल (SDERF) का प्रशिक्षण नेशनल डिजास्टर रिस्पान्स कोर्स (एन0डी0आर0एफ0) 6वीं बटालियन गांधीनगर गुजरात के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

(6) राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल का विशेष प्रशिक्षण का द्वितीय बैच दिनांक 03.02.14 से 15.03.14 तक (15 कार्य दिवस) होमगार्ड स्वयं सेवकों को कमाण्डेंट केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान होमगार्ड मंगेली, जबलपुर में राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल (SDERF) का प्रशिक्षण नेशनल डिजास्टर रिस्पान्स कोर्स (एन0डी0आर0एफ0) 6वीं बटालियन गांधीनगर गुजरात के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

Scanned with CamScanner

(7) सी एक्सप्लोरर्स इंस्टीटयूट (एस0ई0आई0) आटरमघाट कोलकत्ता में दिनांक 31—03—14 से 26—04—14(चार सप्ताह) तक 50 होमगार्ड स्वयं सेवकों को डिजास्टर रिलीफ लाईफ सेविंग प्रशिक्षण दिया गया।
दिनांक 12.05.14 से 21.06.14 तक (छः सप्ताह) का (फल्ड रेस्क्यू) डीप डायविंग प्रशिक्षण हेतु 10 जवानों को आटरमघाट कोलकत्ता में प्रशिक्षण दिया गया।

(8) सी एक्सप्लोरर्स इंस्टीट्यूट (एम0ई0आई0) आटरमघाट कोलकत्ता में दिनांक 12—05—2014 से 07—06—2014 (चार सप्ताह) 50 होमगार्ड स्वयं सेवकों को लाईफ सेविंग प्रशिक्षण दिया गया।

(9) बाढ़ बचाव के अंतर्गत सी एक्सप्लोरर्स इस्टीट्यूट (एम0ई0आई0) आटरमघाट कोलकत्ता में दिनांक 09—06—14 से 05—07—14 तक (चार सप्ताह) 50 होमगार्ड स्वयंसेवकों को डिजास्टर रिलीफ के अंतर्गत लाईफ सेविंग प्रशिक्षण दिया गया।

(10) बाढ़ बचाव के अंतर्गत सी एक्सप्लोरर्स इस्टीट्यूट (एम0ई0आई0) आटरमघाट कोलकत्ता में दिनांक 23—06—14 से 02—08—14 तक (छः सप्ताह) 10 होमगार्ड स्वयंसेवकों को फल्ड रेस्क्यू डीप डायविंग प्रशिक्षण दिया गया।

(11) बाढ़ बचाव के अंतर्गत सी एक्सप्लोरर्स इस्टीट्यूट (एम0ई0आई0) आटरमघाट कोलकत्ता में दिनांक 04—08—14 से 12—09—14 तक (छः सप्ताह का फल्ड रेस्क्यू डीप डायविंग प्रशिक्षण दिया गया।

(12) **प्रथम बैचः**— 48 होमगार्ड स्वयं सेवकों को दिनांक 02—04—14 से (30 कार्य दिवस) आपदा प्रबंधन के अंतर्गत बी0आई0डी0आर0 सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर ग्वालियर में बेसिक डी0एम0 कोर्स दिया गया।

(13) **द्वितीय बैचः**—45 होमगार्ड स्वयंसेवकों को दिनांक 07—07—14 से 06—08—14 (30 कार्य दिवस) आपदा प्रबंधन के अंतर्गत बी0आई0डी0आर0 सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर ग्वालियर मे बेसिक डी0एम0 कोर्स दिया गया।

(14) **प्रथम बैचः**— बाढ़ बचाव के अंतर्गत 25 होमगार्ड स्वयं सेवकों को दिनांक 28—01—14 से 01—02—14 तक (एक सप्ताह) का मोटर बोर्ड इंजन मेकेनिक का प्रशिक्षण प्राचार्य कला निकेतन पॉलीटेनिक महाविद्यालय , जबलपुर में प्रशिक्षण दिया गया है।

(15) द्वितीय बैचः — बाढ़ बचाव के अंतर्गत 25 होमगार्ड स्वयं सेवकों को दिनांक 03—06—14 से 09—06—14 तक (पांच कार्य दिवस) का मोटर बोर्ड इंजन मेकेनिक का प्रशिक्षण प्राचार्य कला निकेतन पॉलीटेनिक महाविद्यालय, जबलपुर में प्रशिक्षण दिया गया है।

(16) संचालक, आपदा प्रबंधन संस्थान, भोपाल मध्यप्रदेश में आपदा प्रबंधन के अंतर्गत होमगार्ड विभाग के डिवीजनल कमाण्डेन्ट एवं डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेन्टों को जिलों में प्रशिक्षण एवं जन जागृति कार्यक्रमों का आयोजन के संबंध में दो दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 31.05.2014 से 04.06.2014 तक दिया गया।

22— विधानसभा चुनाव 2014 में मतदान को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु कानून व्यवस्था के अंतर्गत मध्यप्रदेश होमगार्ड का उपलब्ध बल संख्या 13,304 में से चुनाव में तैनात हेतु बल संख्या 11,853 उपलब्ध कराया गया।

8.....

Scanned with CamScanner

23– लोक सभा चुनाव 2014 में मतदान का सुचारू रूप से तीन चरणों में चुनाव सम्पन्न कराने हेतु कानून व्यवस्था के अंतर्गत भारत सरकार नई दिल्ली एवं पुलिस मुख्यालय भोपाल तथा निर्वाचन आयोग राज्य शासन, भोपाल के आदेशानुसार चुनाव ड्यिूटी हेतु अंतर जिला मूवमेन्ट हेतु मध्यप्रदेश होमगार्ड का बल संख्या 13,153 ड्यिूटी हेतु उपलब्ध कराया गया।

24– बाढ़ बचाव हेतु प्रदेश के सभी जिलों में लगभग 250 जनजागरण कार्यक्रम आयोजित। भोपाल स्थित स्टेट कमाण्ड सेंटर में राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित कर पूरे प्रदेश में वर्षा संबंधी राहत एवं बचाव कार्य हेतु डिजास्टर रेस्क्यु सेन्टर्स स्थापित किये गये। प्रत्येक जिलें में वर्षा के समय क्वीक रिस्पॉस टी 24 घंटे रेडी पोजिशन में तैनात रही।

25– प्रदेश में आई बाढ़ में होमगार्ड के विशेष प्रशिक्षित 1400 तथा 3000 अन्य इस प्रकार कुल 4400 जवान तैनात रहे। बाढ़ में फंसे 3421 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया ।

26– होमगार्ड के इन जवानों ने मोटर बोट एवं अन्य उपकरणों की सहायता से पानी से घिरे ग्रामीणों को दवाईयों एवं भोजन उपलब्ध कराया एवं नाव में बिठाकर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।

27– एन0डी0आर0एफ0 के सहयोग से सी0टी0आई0 मंगेली जबलपुर में 02 बैच में 117 जवानों का प्रशिक्षण पूर्ण कराया गया। मार्च 2014 में बी0एस0एफ0 टेकनपुर में 100 सैनिकों का विशेषीकृत प्रशिक्षण पूर्ण कराया गया। कलकत्ता में 150 जवानों का सरफेस वाटर एवं फ्लड रेस्क्यू कोर्स एवं 30 जवानों का डीप डायविंग कोर्स कराया गया। सभी 51 जिलों में 02 दिवसीय आपदा प्रबंधन कार्यशाला आयोजित की गई। समुदाय का क्षमतावृद्धि एवं कोशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

28– सभी 51 जिलों में 02 दिवसीय आपदा प्रबंधन कार्यशाला आयोजित। समुदाय का क्षमतावृद्धि एवं कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण।

29– प्रदेश में आपदा एवं आपतकालीन परिस्थितियों में आपदा प्रबंधन एवं बचाव कार्य हेतु राज्य आपदा आपातकालीन मोचनबल का गठन आदेश कमांक एफ–2(क)18/13/बी–3/दो, दिनांक 04–10–2013 द्वारा किया गया है। नवगठित बल हेतु 550 नगर सैनिकों के अतिरिक्त काल आउट की स्वीकृति एवं 132 अधिकारी/कर्मचारियों के नवीन पदों का सृजन किया गया है।

प्रथम चरण में मुख्यालय एवं स्टेट कमाण्ड सेंटर तथा 04 जिला ईकाइयॉ क्रमशः जिला भोपाल, इंदौर, ग्वालियर व जबलपुर का गठन किया गया।

नवगठित बल में नियुक्त /प्रतिनियुक्ति एवं पदस्थापना हेतु नियम मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 445 दिनांक 22 सितम्बर 2014 द्वारा जारी किये गये।

30– प्रदेश में सभी 50 जिलों में जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र (ई.ओ.सी.) की स्थापना की गई।

31– थाना क्षेत्रों में ड्यिूटी के दौरान गंभीर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये होमगार्ड जवानों को पुलिस अधिकारियों द्वारा पुरूस्कृत किया गया एवं महत्वपूर्ण औद्योगिक संस्थानों में होमगार्ड जवनों द्वारा सफलतापूर्वक सराहनीय ड्यिूटी संपादित की गई । महत्वपूर्ण त्यौहारों एवं मेलों में होमगार्ड संगठन द्वारा कनून एवं सुरक्षा व्यवस्था ड्यिूटी सफलतापूर्वक की गई।

32– नगरीय निकाय चुनाव 2014 के 02 चरणों में सम्पन्न चुनाव में कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा एवं मतदान सम्पन्न कराने तथा चुनाव परिणाम पश्चात निकाले गये विजयी जुलूस में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये लगभग 13,000 होमगार्ड सैनिकों ने अपनी ड्यिूटी निष्ठा एवं लगन के साथ सम्पादित की।

9.....

Scanned with CamScanner

33— वर्ष 2014 में होमगार्ड विभाग में हवलदार अनुदेशक के 07 हवलदार स्टोरमेन के 06, प्रधान आरक्षक के 07 आरक्षक 11, आरक्षक वाहन चालक 41, डिस्पैच राइडर 01 के पद पर बैकलॉग पदों एवं शासन द्वारा रिक्त पदों के 05 प्रतिशत से कम पद की भर्ती के प्रावधाननुसार नियुक्ति दी गई।

34— होमगार्ड विभाग के जिला इकाईयों के स्वयं सेवी सैनिकों को अन्य संस्थान में वर्ष 2015 में बाढ़ बचाव के अंतर्गत सी एक्सप्लोरर्स इस्टीट्यूट (एम0ई0आई0) आटरमघाट कोलकत्ता में भी रेस्क्यू डीप डायविंग/लाइफसेविंग का 180 सैनिकों को प्रशिक्षण दिया गया।

35— वर्ष 2015 में व्यवसायिक परीक्षा मण्डल भोपाल के माध्यम से चयनित होमगार्ड विभाग में प्लाटून कमाण्डर के 36 एवं शीघ्रलेखक के 02 तथा निम्न श्रेणी लिपिक (ए0एस0आई0 एम) के 03 पद पर नियुक्ति की गई।

36— (अ) 05 राज्य उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड, पंजाब ,गोवा एंव मणिपुर के राज्यों में विधानसभा चुनाव 2017 हेतु मध्यप्रदेश होमगार्ड विभाग के 03 कंपनियां अर्थात प्रतिकम्पनी 100 बल के मान से 300 स्वयंसेवी सैनिकों को कानून व्यवस्था हेतु चुनाव ड्यिूटी दिनांक 15 जनवरी 2017 से 08 मार्च 2017 तक पंजाब एवं उत्तर प्रदेश राज्य के विधानसभा चुनाव हेतु तैनात किया गया था।

(ब) उपविधानसभा क्षेत्र 09 अटेर जिला भिण्ड एवं उपविधानसभा क्षेत्र क्रमांक 89 बांधवगढ जिला उमरिया में चुनाव संपन्न कराने हेतु कानून व्यवस्था के लिये ड्यिूटी दिनांक 06.04.2017 से 10.04.2017 तक होमगार्ड का बल पुलिस विभाग को 355 जवान उपलब्ध कराये गये थे।

(स) कर्मचारी चयन आयोग (मध्यप्रदेश क्षेत्र) रायपुर, छत्तीसगढ राज्य द्वारा आयोजित '' मल्टी टास्किंग '' स्टॉफ परीक्षा 2017 जो मध्यप्रदेश राज्य के अन्य जिलों में आयोजित दिनांक 30.04.2017, 14.05.2017 तथा 28.05.2017 को परीक्षा आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षा में कानून व्यवस्था हेतु 171 होमगार्ड स्वयंसेवी सैनिक जिसमें पुरूष एवं महिला 338 का बल ड्यिूटी हेतु तैनात किया जाकर संबंधित विभाग को दिया गया था।

(द) मध्यप्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट उप विधान सभा चुनाव 2017 जो दिनांक 09.11.2017 को संपन्न कराने हेतु एवं कानून व्यवस्था के लिये 171 होमगार्ड स्वयंसेवी सैनिकों का बल दिनांक 05.11.2017 ये 10.11.2017 तक बल को पुलिस विभाग को सौंपा गया।

——0——

Scanned with CamScanner

राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल गठन से आज तक की उपलब्धियॉ

जून 2013 मे आई उत्तराखण्ड आपदा के तत्काल बाद म0प्र0 में ऐसी आपात परिस्थितियों से निपटने हेतु एसडीईआरएफ का गठन किया गया। तब से लेकर आज तक इस बल ने अनेक साहसिक अभियान एवं रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर प्रदेश के कई नागरिकों की जान बचाई।

म.प्र.राज्य विभिन्न प्रकार की नैसर्गिक एवं मानव निर्मित आपदाओं एवं आपातकालीन स्थितियों से ग्रस्त है। राज्य के 28 जिले भूकंप तीव्रता की दृष्टि से जोन–3 एवं 22 जिले जोन–2 में आते है। इसी प्रकार पिछले कुछ वर्षो के अनुभवों के आधार पर राज्य के 32 जिले बाढ़ प्रभावित रहे है। इसके अलावा अग्नि, सूखा, बर्फबारी, रासायनिक दुघर्टनायें, रोड़ दुर्घटनायें, ट्रेन दुर्घटनायें इत्यादि से भी विभिन्न जिले प्रभावित रहे है। वर्ष 1984 में भोपाल जिले में विश्व की एक गंभीरतम गैस दुर्घटना घटित हुई है। राज्य में सैकड़ों की तादात में उद्योग स्थापित है एवं राज्य शासन के औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में किये जा रहे सघन प्रयासों से निकट भविष्य में औद्योगिक इकाईयों की संख्या एवं प्रकृति दोनों में तीव्र वृद्धि अपेक्षित है।

एसडीईआरएफ ने समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन पर बल देते हुए नागरिकों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण देकर उन्हें फर्स्ट रिस्पोंडर के रूप में तैयार किया। उच्च न्यायालय से लेकर स्कूल, कॉलेज तथा आपदा प्रभावित गॉव में जाकर बाढ़, भूकंप, अग्नि दुर्घटना आदि से बचाव का प्रशिक्षण एसडीईआरएफ के द्वारा प्रदान किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में मास्टर ट्रेनर इस बल के द्वारा विकसित किये गये जो निरंतर युवा शक्ति को आपदा संबंधी प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल का गठनः–

प्रदेश में आने वाली आपदा के संबंध में त्वरित प्रतिकिया करने के लिए म0प्र0 शासन ने आदेश दिनांक 04.10.2013 द्वारा राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल (एस.डी.ई.आर.एफ.) का गठन किया। इसके अंतगर्त मुख्यालय स्तर पर स्टेट कमाण्ड सेन्टर तथा प्रथम चरण में 04 जिला इकाईयों भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर में एस.डी..ई.आर.एफ इकाई गठित की गई है। मुख्यालय स्तर पर 44 स्थाई पदों तथा चार जिला इकाईयों में 88 स्थाई पद, इस प्रकार कुल 132 नवीन पदों का सृजन किया गया। स्टेट कमाण्ड सेंटर के लिए 150 जवान तथा 4 जिला इकाईयों हेतु प्रत्येक में 100 के मान से 400 जवान, इस प्रकार कुल 550 जवानों के लिए अतिरिक्त कॉल–आउट का प्रावधान किया गया।

उत्तराखण्ड आपदा वर्ष 2013 :–

उत्तराखण्ड की इस भयानक आपदा में म0प्र0 के छः हजार से अधिक नागरिक केदारनाथ,बदरीनाथ,जोशीमठ आदि क्षेत्रों में पहाड़ों के बीच फॅसे थे। तत्काल भोपाल में एसडीईआरएफ के द्वारा एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया और तीस टेलीफोन लाईनों वाले कॉल सेंटर के माध्यम से हेल्प लाईन नं. जारी कर राहत बचाव कार्य हेतु व्यापक समन्वय कार्य किया और अधिकांश लोगों को उत्तराखण्ड से सुरक्षित लाने में सफलता प्राप्त की।

एसडीईआरएफ की क्षमता वृद्धिः–

विदित हो कि राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल राज्य शासन द्वारा स्थापित प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्य करने हेतु एक विशेषीकृत बल है। निरन्तर अभ्यास तथा पश्चिम बंगाल स्थित राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से हुगली नदी तथा बंगाल की खाड़ी में इस बल के जवानों को सरफेस वाटर रेसक्यू, डीप डायविंग तथा

Scanned with CamScanner

फ्लड रेसक्यू संबंधी विशेषीकृत प्रशिक्षण एक–एक माह की अवधि का दिलाया गया है, साथ ही बी.एस.एफ के टेकनपुर (ग्वालियर) स्थित राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान में भी एस.डी.आर.एफ के जवानों ने राहत एवं बचाव का अत्याधुनिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली, BARC मुम्बई , DRDE ग्वालियर आदि में भी प्रशिक्षण आयोजित करने की प्रक्रिया जारी है। विगत् वर्षो में रीवा, सतना और पन्ना जिलों में आई भंयकर बाढ़ के दौरान एस.डी.आर.एफ ने प्रभावी राहत एवं बचाव कार्य कर अपनी उपयोगिता स्वयं सिद्ध की है। उज्जैन सिंहस्थ के दौरान भी एस.डी.आर.एफ द्वारा किये कार्यों की सर्वत्र सराहना हुई है। इसके अलावा हरदा एवं कानपुर ट्रेन दुर्घटना, बोरवेल दुर्घटना, भवन ध्वस्त होना जैसी आपदाओं में भी एस.डी.आर.एफ ने अनेक लोगों की जाना बचाई।एसडीईआरएफ द्वारा स्वयं को अत्याधुनिक बचाव उपकरणों से युक्त किया गया।

उपकरण :–

नवगठित राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल के लिए अत्याधुनिक आपदा बचाव उपकरण/सामग्री क्रय किये गये हैं। इसमें फ्लड रेस्क्यू,सीएसएसआर, फायर सेफ्टी, एमएफआर संबंधी बचाव उपकरण क्रय कर इन्हे आपरेट करना, मरम्मत व रखरखाव हेतु विधिवत् प्रशिक्षण प्रदान किया। इससे एस.डी.ई.आर.एफ की रेस्क्यू आपरेशन के दौरान क्षमता में वृद्धि हुई साथ ही होमगार्ड विभाग का भी सुदृणीकरण हुआ है। विभाग के पास एस.डी.ई.आर.एफ की 112 तथा होमगार्ड की 350 इस प्रकार कुल 462 बोट उपलब्ध है तथा 150 बोट के लिये क्रय आदेश जारी किये जा चुके है।

व्यापक प्रशिक्षण :–

म.प्र.राज्य भी विभिन्न प्रकार की नैसर्गिक एवं मानव निर्मित आपदाओं एवं आपातकालीन स्थितियों में आपदा प्रबंधन रेस्क्यू कार्य होमगार्ड एवं राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल (एस.डी.ई.आर.एफ.) द्वारा किया जा रहा है। होमगार्ड एवं एस.डी.ई.आर.एफ. की आपदा प्रबंधन, रेस्क्यू कार्य में क्षमता वृद्धि हेतु विभाग द्वारा अधिकारी/कर्मचारी एवं जवानों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है एवं निरंतर प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है।

कलकत्ता में सरफेस वाटर एवं फ्लड रेस्क्यू कोर्स में 335 जवान, डीप डायविंग कोर्स में 95 जवान, सी.टी.आई. जबलपुर में एन.डी.आर.एफ. के सहयोग से 217 जवान, बी.एस.एफ. टेकनपुर में 135 जवानों को विशेषीकृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 2500 से अधिक आपदा प्रबंधन कार्यशालायें एवं प्रशिक्षण मॉक ड्रिल आयोजित किये गये। राज्य स्तरीय 03 वृहद सेमीनार नसरूल्लागंज, भोपाल एवं होशंगाबाद में आयोजित किये गये। विभाग द्वारा हाल ही में सामुदायिक आपदा प्रबंधन अभियान चलाया गया है, जिसमें समाज को जोडते हुए एन.सी.सी.,नेहरू युवा केन्द्र, भारत स्काउट गाईड,तथा एन.एस.एस. के युवाओं को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

सिहस्थ के समय एस.डी.ई.आर.एफ के द्वारा 3000 होमगार्ड के जवानों तथा 3000 सिविल डिफेंस के वालेन्टियर्स को आपदा प्रबंधन में क्षमतावृद्धि हेतु विशेष प्रशिक्षण दिया गया था। सिंहस्थ 2016 के दौरान स्थानीय गोताखोर एवं तैराक, होमगार्ड के जवान तथा सिविल डिफेंस के वालेन्टियर्स कुल मिलाकर लगभग 10,000 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया।

Scanned with CamScanner

आगामी मानसून को देखते हुये तथा मौसम विभाग द्वारा इस वर्ष अधिक वर्षा की चेतावनी के मद्देनजर सभी 51 जिलों में होमगार्ड विभाग द्वारा जल आपदा से निपटने हेतु वृहद प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जायेगा। इसके अंतर्गत जिला मुख्यालयों तथा जिले में अन्यत्र उपलब्ध जल स्त्रोत जैसे नदी, तालाब, डेम आदि स्थानों पर विभाग में उपलब्ध सभी 12,000 होमगार्ड सैनिकों तथा ऐसे सिविल डिफेंस वालेन्टियर्स जिन्होंने अभी तक जल आपदा का प्रशिक्षण नहीं लिया था, उन्हें प्रशिक्षण दिया जायेगा।

नर्मदा यात्राः—

नर्मदा नदी देश की सबसे प्राचीनतम नदियों में से है, जो कि मध्यप्रदेश में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। मध्यप्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा जो कि पूर्व में अमरकंटक से लेकर पश्चिम तक विस्तृत भू–भाग में मध्यप्रदेश से होकर बहती हुई अरब सागर में मिलती है। नर्मदा नदी उद्गम से विलोपन तक मध्यप्रदेश(1077 किमी.), महाराष्ट्र(74 किमी.) एवं गुजरात(254 किमी.) से होकर गुजरती है। नर्मदा से लगा हुआ संपूर्ण क्षेत्र बाढ़ आपदा की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र है। प्रतिवर्ष नर्मदा में आने वाली बाढ़ से हजारों गांव प्रभावित होते हैं, जिसमे कि बाढ़ के साथ–साथ स्वच्छता, संक्रमण, समयोपचार जैसी मूलभूत जागरूकता के अभाव में कई जीवन कालकल्वित होते हैं।

नर्मदा नदी केवल नदी मात्र ही नदी अपितु आस्था व विश्वास का प्रतीक है, यह प्रदेशवासियों के लिए जीवनदायिनी नदी है इसका संरक्षण किया जाना जरूरी है। अतः म.प्र. एसडीईआरएफ एवं होमगार्ड के द्वारा संयुक्त रूप से यात्रा के दौरान उद्गम से लेकर राजघाट बड़वानी तक नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर बसे गावों में बाढ़ आपदा प्रबंधन जन–जागरण के संबंध में प्रशिक्षण देना और इम्प्रोवाइज मेथर्ड का प्रयोग कर संकट के समय जीवन रक्षा कैसे की जाये इस बात का व्यवहारिक ज्ञान देना, नर्मदा के किनारे जहां अत्यंत मृदा अपरदन तथा मिट्टी का कटाव हो रहा है उन स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु लोगों को जागरूक करना, ग्राम चौपाल,रात्रि चौपाल तंथा स्कूलों में जाकर ग्रामवासियों तथा बच्चों को नर्मदा नदी की स्वच्छता, कुपोषण, योग, नशा मुक्ति आदि के लिए प्रेरित करना। नर्मदा नदी में पॉलीथीन, कचरा, मूर्ति विसर्जन, मल–मूत्र आदि विसर्जन न करने एवं नर्मदा नदी की स्वच्छता के लिए संकल्प दिलाना जैसे मानव समाज से जुड़े हुये महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने हेतु नर्मदा यात्रा पैदल तथा मोटर बोट से करने का निर्णय लिया गया।

नर्मदा जनजागृति यात्रा एक नजर

- कुल गांव – 193
- कुल रात्रि चौपाल एवं समूह चर्चा – 43
- कुल स्कूल कार्यक्रम – 35
- कुल जनसंवाद व विचार विमर्श कार्यक्रम –165 गांव
- नर्मदा यात्रा के दौरान सिविल डिफेंस वालेंटियर बनाये – 1892
- कुल की गई नर्मदा यात्रा – 1079 KM (MP)
- मैकल पर्वत से शूरपाणी की पहाड़ी तक

Scanned with CamScanner

भर्ती नियम :–

मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र कमांक 445 भोपाल दिनांक 22 सितम्बर 2014 के अनुसार बल की भर्ती हेतु नियम बनाये गये हैं। क.एफ–35–71–2013–दो–सी–2–भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल के अधिकारियों, कर्मचारियों, जवानों की भरती और सेवा की शर्तों से संबंधित नियम बनाये गये है।

प्रतिनियुक्ति / संविदा भर्ती से पदों की पूर्ति :–

मध्यप्रदेश राजपत्र कमांक 445 भोपाल दिनांक 22 सितम्बर 2014 के अनुसार 132 पद स्टेट कमाण्ड सेंटर एवं चार जिला इकाई कमशः भोपाल, जबलपुर, इंदौर एवं ग्वालियर के लिए स्वीकृत किये गये हैं, वर्तमान में 96 पद कार्यरत है। 550 जवानों के पद सृजित किये गये हैं,शासन से स्वीकृति उपरांन्त इन पदों को प्रतिनियुक्ति से भरने की कार्यवाही की जावेगी। वर्तमान में 92 जवान कार्यरत है। राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल में पदों को अधिकारी, कर्मचारी एवं जवानों की पूर्ति प्रतिनियुक्ति एवं संविदा भर्ती से की गई है।

आपदा कमाण्ड एवं रिस्पोंस मानीटरिंग की स्थापना :–

प्रदेश में आने वाली सभी प्रकार की प्राकृतिक एवं मानव निर्मिम आपदाओं से निपटने के लिए विभाग द्वारा एक विशेष बेव पोर्टल homeguard.mp.gov.in तैयार किया गया है। इस पर आपदा प्रबंधन का लिंक उपलब्ध है, इस राज्य आपदा कमाण्ड एवं रिस्पांस मॉनिटिरिंग सिस्टम में शासन के सभी विभागों, नगर निगम, नगर पालिका, पंचायती राय इकाईयॉ, स्वयंसेवी संगठनों, परोपकारी संगठनों एवं निजी संस्थानों व इकाईयों के सभी संसाधनों, वाहनों आदि की जानकारी की जियो–टेगिंग की जा रही है। यह सिस्टम संपूर्ण प्रदेश में किसी भी क्षेत्र में आपदा घटित होने पर उसका पंजीयन कर तत्काल निकटम स्थित संसाधनों को भेजकर प्रभावी राहत एवं बचाव कार्य किया जा सकेगा।

विभाग द्वारा सभी 51 जिलों में ई.ओ.सी. एवं क्यू.आर.टी. स्थापित किये जा चुके है। सभी ई.ओ.सी. में टेलीफोन एवं इंटरनेट स्थापित है। भारत सरकार द्वारा आम पब्लिक के लिये प्रदत्त टोलफ्री नं. 1079 लेवल वन तथा 30 पीआरआई लाईन सहित स्टेट कमाण्ड सेंटर भोपाल में स्थापित किया गया, ताकि आपदा पीड़ित कोई भी व्यक्ति तत्काल निःशुल्क फोन लगाकर सहायता प्राप्त कर सकें। स्टेट कमाण्ड सेंटर आपदा संबंधी सूचना लेण्ड लाईन, वेब पोर्टल, मोबाईल एप, फेसबुक, ट्वीटर आदि से भी प्राप्त कर आपदा के समय प्रभावी राहत एवं बचाव कार्यवाही कर रहा ळें

डीआरसी केन्द्र :–

मध्यप्रदेश विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। कोई आपदा घटित होने पर जिला मुख्यालय से रेस्क्यू टीम के घटना स्थल पर पहुचने में समय लगता है। ऐसी स्थिति से निपटने हेतु दुर्घटना संभावित स्थलों पर भी डीआरसी टीम आवश्यक बचाव उपकरणों और बचाव कार्य में निपुण दक्ष जवानों के साथ तैनात की गई, ताकि रिस्पांस समय न्यूनतम किया जा सके मध्यप्रदेश ऐसे 245 डीआरसी केन्द्र खोले गये।

Scanned with CamScanner

सरदार सरोवर :-

पिछले वर्ष सरदार सरोवर परियोजना से डूब प्रभावित ग्रामों में एस.डी.ई.आर.एफ के द्वारा राहत एवं बचाव कार्य किया। नर्मदा नदी की बॉध की ऊँचाई बढ़ाने से मध्यप्रदेश के धार एवं बड़वानी जिलों की बहुत बड़ी जनसंख्या प्रभावित हुई। मोटर बोट एवं अन्य बचाव उपकरणों के संचालन के लिए एसडीईआरएफ की दो टीम क्रमशः निसरपुर (धार) एवं बड़वानी में प्रशिक्षण हेतु तैनात की गई थी।

आवश्यक बचाव उपकरण/सामग्री यथा मोटर बोट- 55, लाईफ जैकेट- 510, लाईफ ब्वाय-214, रोप-160, इनफ्लाटेबल लाइटिंग टावर- 12, टार्च 209, स्नेक कैचर-18, डीप डायविंग सेट-8 जिला धार, बड़वानी एवं अलिराजपुर को प्रदाय किये गये। इसके साथ ही प्लाटून कमाण्डर- 04, जवान- 88 आपदा एवं राहत बचाव कार्य के लिए तैनात किये गये थे।

सिंहस्थ 2016 के उल्लेखनीय कार्य :-

मध्यप्रदेश में सिंहस्थ 2016 (महाकुंभ) का आयोजन महाकाल की नगरी उज्जैन में विगत माह 21 अप्रेल से 22 मई, 2016 तक आयोजित किया गया। इस महाकुंभ के सफल आयोजन हेतु आपदा प्रबंधन की रूपरेखा तैयार कर एसडीईआरएफ, होमगार्ड,सिविल डिफेंस विभाग द्वारा दिन-रात, अथक परिश्रम से ड्यूटी कर सिंहस्थ 2016 में आने वाले करोड़ों की संख्या में आमजन, श्रद्धालुओं, साधु-संतों एवं गणमान्य विशिष्टजनों की जान-माल की रक्षा की गई। कुंभ के दौरान नदी एवं घाटों में आवश्यकता के अनुसार 08 जोन बनाये जाकर, आपदा प्रबंधन कार्य संपादित किा गया। तीन लेयर (सीढ़ी लेयर, रैलिंग लेयर व नॉव की लेयर) में जल आपदा से निपटने की सशक्त व्यवस्था की गई थी व उनकी चौकसी, चेतन्यतः एवं एकाग्रता बनाए रखने के लिए हर दो घण्टें में इनकी जल मार्ग से बदली की गई थी। करीब 500 सर्प एसडीईआरएफ,होमगार्ड की टीम द्वारा जीवित अवस्था में पकड़कर, वन विभाग को सौंपा गया। सिंहस्थ के दौरान आये आधी, तूफान एवं तेज बारिश में साधू-संतों के कई पंडाल एवं बड़े-बड़े डोम उखड़ गये थे, जिसमें कई लोग दब गये थे, उन्हें रातों-रात एसडीईआरएफ,होमगार्ड एवं सिविल डिफेंस की 28 क्वीक रिस्पांस टीम द्वारा तत्परता से राहत एवं बचाव कार्य कर बाहर निकाला गया। करीब 90 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया एवं करीब 400 लोगों को मौके पर ही फर्स्ट एड देकर उन्हें सुरक्षित जगह भेजा गया। तत्पश्चात् गिरें हुये पंडालों एवं बड़े-बड़े डोम के ढॉचे को वापस यथास्थिति में लाने के लिये बल द्वारा दिन रात मेहनत की, जिसकी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, साधु-संतों एवं गणमान्य नागरिकों ने प्रशंसा की।

वर्ष 2015-16 में बाढ़ बचाव के उल्लेखनीय कार्य -

इस वर्ष मानसून में बाढ़ की संभावित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये पूरे प्रदेश में एसडीईआरएफ, होमगार्ड एवं सिविल डिफेंस के 314 आपदा केन्द्र तथा जिलों में 51 ई.ओ.सी. केन्द्र कुल 365 स्थापित किये गये है। इन आपदा केन्द्रों में प्रशिक्षित जवान एवं वालेन्टियर्स बचाव कार्य हेतु आवश्यक उपकरणों के साथ राहत एवं बचाव कार्य हेतु तैनात है।

Scanned with CamScanner

दिनांक 06.07.2016 से 12.07.2016 तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर स्टेट कमाण्ड सेंटर भोपाल में प्राप्त सूचना पर विभाग द्वारा निम्नानुसार रेस्क्यू कार्य किये गये है :-

रीवा, सतना, पन्ना, मण्डला, सिवनी, होशंगाबाद, बैतूल, भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, सागर, हरदा, खण्डवा, खरगौन, उज्जैन, धार इत्यादि जिलों में बाढ़ आपदा की स्थिति उत्पन्न होने पर लगभग 7,500 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया। साथ ही पन्ना जिला अंतर्गत अमानगंज ब्लाक में 2 छोटे डेम टूटने से 18 गॉव जलमग्नल हो जाने सूचना पर ग्वालियर व भोपाल से एसडीईआरएफ एवं होमगार्ड का विशेष बाढ़ बचाव दल 07 मोटरबोट व आवश्यक उपकरणों के साथ भेजकर रेक्यु कार्य किया गया। एसडीईआरएफ की टीम द्वारा ग्राम सोरवानी, सिमराकला, कोनीछाता तथा खजरा सहित अन्य स्थानों से लगभग 25,000 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।

<u>वर्ष 2017 में बाढ़ बचाव के उल्लेखनीय कार्य–</u>

वर्तमान में प्रदेश में एसडीईआरएफ की चार इकाई भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर तथा एनडीआरएफ एवं होमगार्ड के 245 आपदा संचालन केन्द्र/आपदा बचाव केन्द्रों में करीब 3500 जवान बाढ़ आपदा से निपटने हेतु रेस्क्यू कार्य के लिये आवश्यक बचाव उपकरण व सामग्री सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मुस्तैदी से तैनात होकर प्रभावी कार्यवाही कर रहे है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में 77 मृतक व्यक्तियों के शव निकाले गये, 37 घायलों को सुरक्षित बचाया गया है, 407 पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, 22 सर्पदंश की घटना घटित हुई सुरक्षित अस्पताल पहुँचाया गया।

इस वर्ष देवास जिले में बोरवेल दुर्घटना, इन्दौर में बहुमंजिला इमारत के ध्वस्त होने जैसी आपदाओं में एस.डी.ई.आर.एफ ने सराहनीय कार्य किया। पिछले दो वर्षो में तीन बार माननीय उच्च न्यायालय, चार बार मा.मंत्री महोदय तथा 80 बार जिला कलेक्टरों के द्वारा एस.डी.ई.आर.एफ की विभिन्न आपत स्थितियों में मांग की गई जो इसके महत्व को दर्शाता है।

इस तरह एसडीईआरएफ ने बहुत कम समय में स्वयं को क्षमता युक्त कर न केवल आपदा के दौरान लोगों की जान बचाई वरन् नागरिकों को में भी आपदा से निपटने की क्षमता विकसित की। यह बल निरंतर प्रदेश के नागरिकों की सेवा में संलग्न है।

<u>वर्ष 2018 के उल्लेखनीय कार्यः–</u>

दिनांक 10–03–2018 को जिला देवास में 37 फिट गहरे बोरवेल में फॅसे बच्चे (रोशन) को होमगार्ड एवं एस.डी.ई.आर.एफ के अधिकारियों व जवानों द्वारा अदम्य साहस का परिचय देते हुये सकुशल बाहर निकाला गया।

दिनांक 31–03–2018 को समय 21:15 बजे जिला इन्दौर में सरवटे बस स्टेण्ड के पास एम.एस.होटल की पुरानी इमारत के गिर जाने की सूचना पर एस.डी.ई.आर.एफ एवं होमगार्ड के अधिकारियों द्वारा मय आवश्यक उपकरण एवं एम्बुलेन्स सहित घटना स्थल पर राहत एवं बचाव कार्य किया गया , जिसमें 12 व्यक्तियों को बाहर निकाला गया उनमें से 02 व्यक्ति जीवित एवं 10 शवों को बाहर निकाला गया।

Scanned with CamScanner